<u>प्रतिवेद्य</u>

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

<u>सिविल अपील सं. 2352–2353 वर्ष 2019</u>

जगदीश परिवहन निगम और अन्य ...अपीलार्थी

बनाम

भारत संघ और अन्य ...प्रत्यर्थी

<u>निर्णय</u>

<u>न्यायमूर्ति एम. आर. शाह</u>

1. इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ लखनऊ द्वारा पारित अक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 29.03.2017, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 2008 की रिट याचिका संख्या 4958 को खारिज कर दिया है, से व्यथित एवं असंतुष्ट महसूस करते हुए, अपीलकर्ताओं द्वारा यहां मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है। समीक्षा को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश, आवेदन भी वर्तमान अपीलों कीविषय–वस्तु है।

2. वर्तमान अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:–

i) यह कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 (संक्षेप में "अधिनियम") के तहत व्यापार परिसर के

और साझदारों के आवास पर तलाशी ली गई।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

ii) धारा 153 ए के तहत सभी अपीलकर्ताओं को आकलन वर्ष 1998–1999 से 2004–2005 के लिए
नोटिस जारी किए गए थे।
iii) पूर्वोक्त निर्धारण वर्षों के लिए अधिनियम की धारा 153ए के तहत अपीलकर्ताओं द्वारा आय की
विवरणी दाखिल की गई थी।
iv) अधिनियम की धारा 245 सी (1) के तहत अपीलकर्ताओं द्वारा आयकर समझौता आयोग (संक्षेप में
"समझौता आयोग ") के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था।

v) वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा सम्मिलित की गई धारा 245HA के अनुसार, आवेदन पर समझौता आयोग द्वारा 31.03.2008 को या उससे पूर्व निर्णय लिया जाना था, जिसमें विफल होने पर समझौता आयोग के समक्ष कार्यवाही समाप्त हो जाएगी।
vi) उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश के माध्यम से, समझौता आयोग को 31.03.2008 तक अधिनियम की धारा 245 डी के तहत आवेदन का निपटान करने का निर्देश दिया।
vii) दिनांक 31.03. 2008 के आदेश द्वारा समझौता आयोग ने कार्यवाही का निपटारा किया और अघोषित आय रु 59,00,000 का भी निपटारा किया। अधिनियम की धारा 245 एफ (4) के प्रावधानों के अनुसार,
समझौता आयोग ने एक आदेश भी पारित किया कि सीआटी/एओ उन मामलों के संबंध में उपयुक्त कार्यवाही कर सकता है, जो आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष नहीं रखे गए हैं। समझौता आयोग ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:
"उपर्युक्त मामलों में, माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ ने दिनांक 19.03.2008 के

उद्घोषणा
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

आदेश पारित किए हैं, जिसमें निपटान आयोग को 31.03.2008 तक धारा 245 डी (4) के तहत कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया गया है।

2. इस मामले में नियम 9 के तहत रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।

3. कुल मिलाकर, आयोग की प्रधान पीठ को 26.03.2008 तक मार्च, 2008 के महीने में विभिन्न

उच्च न्यायालयों से 325 से अधिक आदेश प्राप्त हुए हैं जिसमें प्रधान पीठ को 31.03.2008 तक मामलों को पूरा करने का निर्देश दिया गया है।

4. इसमें 1500 से अधिक आंकलन शामिल होंगे। समझौता आयोग केवल उन आकलनों से संबंधित है जिनमें जांच की जटिलता शामिल है और आवेदन का उद्देश्य मुकदमेबाजी को ठंडे बस्ते में डालना साबित करना है। उदाहरण के लिए, मामलों के एक समूह में जहां 23 आवेदन शामिल हैं, पेपर बुक, जो समझौता आयोग के समक्ष दायर की गई है, तीस हजार पृष्ठों की है। उचित समझौते पर पहुंचने के लिए दोनों प्रार्थी और आयकर आयुक्त को पर्याप्त एवं उचित अवसर दिए जाने की आवश्यकता है।

(5) इस समय, आयोग के लिए अभिलेखों की जांच करना और उचित निपटान के लिए मामले की जांच करना व्यवहारिक नहीं हैं। यहां तक कि आवेदक और विभाग को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 245 (डी) (4) में निर्धारित पर्याप्त अवसर देनी भी व्यवहारिक नहीं है। हालांकि, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए,हम आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 245 डी (4) के तहत निम्नानुसार एक आदेश पारित करते हैं।

6) अघोषित आय का निपटारा निम्नानुसार किया जाता है:

जगदीश परिवहन निगम	रु.32,00,000/
सुरेंद्र कु. टंडन	रु.6,00,000/
संध्या टंडन	रु.6,00,000

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

किरण टंडन	रु.7,00,000/
वीरेंद्र कु. टंडन	रु.8,00,000/
कुल	रु.59,00,000/

7) आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 245 F (4) के प्रावधानो के अनुसार आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष नहीं रखे गए मामलो के संबंध में उपयुक्त सीआईटी/ ऐओ इस तरह की कार्यवाही कर सकता है।

8) सभी केंद्रीय अधिनियमों के तहत दंड और अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए प्रार्थना और पिछले पैरा में चर्चा के मद्देनजर हम केवल आवेदन से उत्पन्न होने वाले और इस आदेश द्वारा दायरे में किए गए मुद्दों के संबंध में आयकर अधिनियम के तहत अभियोजन और जुर्माने सेछूट प्रदान करते हैं।

9) उदग्रहणीय ब्याज, यदि कोई हो, कानून के अनुसार प्रभारित किया जाएगा

10) यह निश्चित किया गया है कि कर निर्धारण अधिकारी से सूचना प्राप्त होने की तिथि से 35 दिनों के भीतर आवेदकों द्वारा ब्याज साहित कर की राशि का भुगतान किया जाएगा।

11. अधिनियम की धारा 245 डी (4ए) के तहत निर्धारित वैधानिक समय सीमा के मद्देनजर, निपटान आयोग आयकर आयुक्त को कुल आय, आयकर, ब्याज और जुर्माना की गणना करने का निर्देश देता है, यदि इस आदेश के अनुसार कोई देय हो तो इस कार्यालय को सूचित करते हुए डिमांड नोटिस और चालान के साथ आवेदक को तुरंत सूचित करें।

12. भुगतान की योजना का पालन करने में विफल रहने की स्थिति में, धारा 245 (एच) (1) के तहत दी गई प्रतिरक्षा उक्त धारा की उप धारा (1ए) के संदर्भ में वापस ले ली जाएगी।"

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

viii) उसके बाद, निपटान आयोग द्वारा पैरा 7 में की गई टिप्पणियो के आलोक में, ए.ओ. ने विभिन्न लेनदेन पर पुनर्मूल्यांकन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया, जो पता चला है लेकिन निपटान आयोग के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा प्रकट नहीं किया गया था।

ix) कारण बताओ नोटिस उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका का विषय था। हालांकि, उसके बाद, कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, ए.ओ. ने मूल्यांकन आदेश पारित किया, जिसे एक संशोधन के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी।

x) आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस आधार पर रिट याचिका को खारिज कर दिया है कि निपटान आयोग द्वारा दिनांक 31.03.2008 द्वारा पारित आदेश निरर्थक था क्योंकि निपटान आयोग ने स्वयं यह देखा कि यह उसके लिए व्यावहारिक नहीं था। अधिनियम की धारा 245 डी (4) में निर्धारित अनुसार उचित निपटान के लिए आयोग द्वारा रिकॉर्ड की जांच और मामले की जांच करना और यहां तक कि आवेदक और विभाग को पर्याप्त अवसर देना भी व्यावहारिक नहीं है।

3. संबंधित पक्षों की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और निपटान आयोग द्वारा दिनांक 31.03.2008 को पारित आदेश और जिस तरह से निपटान आयोग ने धारा 245 के तहत आवेदन का निपटान किया, उस पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय पूरी तरह से न्यायोचित है यह देखते हुए कि निपटान आयोग द्वारा पारित आदेश एक शून्यता है और इसे कानून की नजर में एक आदेश नहीं कहा जा सकता है। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि निपटान आयोग के आदेश दिनांकित 31.03.2008 के पैरा (5) में विशेष रूप से पाया गया है कि आयोग के लिए रिकॉर्ड की जांच करना और उचित निपटान के

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

लिए मामले की जांच करना व्यावहारिक नहीं है और यहां तक कि आवेदक और विभाग को अधिनियम की धारा 245 डी (4) में निर्धारित पर्याप्त अवसर देना भी व्यावहारिक नहीं है। हालांकि उसके बाद, निपटान आयोग ने 31.03.2008 को या उससे पहले आवेदन को निपटाने के लिए उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए एक आदेश पारित किया।यदि ऐसा है, तो वास्तव में उच्च न्यायालय को अधिनियम की धारा 245 डी(4) के तहत अपेक्षित उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद कानून के अनुसार और गुण–दोष के आधार पर एक नया आदेश पारित करने के लिए मामले को वापस समझौता आयोग को भेज देना चाहिए था।

4. उपरोक्त के मद्देनजर और यहां ऊपर बताए गए कारणों के लिए, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को अपास्त करते हैं। हमने ए.ओ. द्वारा मूल्यांकन@पुनर्मूल्यांकन के बाद पारित आदेश को अपास्त कर दिया, जो उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका का विषय था। हम निपटान आयोग द्वारा दिनांक 31.03.2008 द्वारा पारित आदेश को भी अपास्त करते हैं और मामले को एक नए निर्णय के लिए निपटान आयोग को वापस भेजते हैं। यह बताया गया है कि निपटान आयोग को बंद कर दिया गया है और निपटान आयोग के समक्ष लंबित मामलो को अधिनियम की धारा 245AA के तहत गठित अंतरिम बोर्ड द्वारा अधिनिर्णय और निर्णय किया जा रहा है। उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इस मामले को अंतरिम बोर्ड को इस अनुरोध के साथ भेजा जाएगा कि इस मामले को शीघ्रता से निपटान किया जाए और पहली सुनवाई की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर अधिमानतः निर्णित किया जाए और एक तर्कपूर्ण आदेश पारित किया जाए।

5. उपरोक्त के मद्देनजर और ऊपर बताए गए कारणो के लिए, वर्तमान अपीलो को तदनुसार स्वीकार किया जाता है। मामले को कानून के अनुसार नए निर्णय के लिए

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

और अपने गुणो के आधार पर और उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए जैसा कि अधिनियम की धारा 245 के तहत आवश्यक है निपटान आयोग/अंतरिम बोर्ड को प्रेषित किया जाता है। अंतरिम बोर्ड नियम 9 के तहत एक नई रिपोर्ट मांग सकता है और उसके बाद अधिनियम की धारा 245 डी (4) के तहत आवश्यक प्रक्रिया का पालन करने के बाद आवेदन पर अंतिम आदेश पारित कर सकता है।

तद्नुसार, वर्तमान अपीलों को पूर्वोक्त सीमा तक स्वीकार किया जाता है। कोई लागत नहीं।

.....

(न्यायमूर्ति एम. आर. शाह)

.....

(न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार)

नई दिल्ली;

28 अप्रैल 2023

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"